राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 53/2022 अपील

1. भवाना पिता देबी भील निवासी खंगार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
2. हेमराज पिता मांगीलाल रेबारी निवासी खंगार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
3. भैरू पिता मांगीलाल रेबारी निवासी खंगार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
4. मोहन पिता लालू रेबारी निवासी खंगार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
5. सोदान पिता लालू जाति रेबारी निवासी खंगार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

बनाम

1. मांगी बाई पुत्री सुवालाल भील निवासी खंगार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ हाल निवास खणी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. सुन्दर बाई पत्नि सुवालाल भील निवासी खंगार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा हाल निवास खणी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार माण्डलगढ़ कार्यवाही अन्तर्गत धारा 183 (बी) रा.टि.एक्ट प्रकरण सं. 05/2021 निर्णय दिनांक 30.04.2022

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

उपस्थित –

1. श्री राकेश चौहान अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री रमेशचन्द्र सारस्वत अधिवक्ता – विपक्षीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 26.07.2024

अपीलार्थी की ओर से यह अपील विरूद्व तहसीलदार माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 05/2021 निर्णय दिनांक 30.04.2022 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्व ग्राम खंगार जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ में स्थित कृषि भूमि आराजी सं. 212 रकबा 0.0567 हैक्ट. आराजी नं. 213 रकबा 0.0728 हैक्ट, आराजी नं. 214 रकबा 0.1457 हैक्ट., आराजी नं. 215 रकबा 0.1052 हैक्ट., आराजी नं. 219/1 रकबा 0. 2671 हैक्ट, आराजी नं. 222 रकबा 0.3642 हैक्ट. किता 6 रकबा 1.0117 हैक्ट. भूमि में से अपीलान्ट्स की बेदखली कर कब्जा प्राप्त करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में धारा 183 बी

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

रा.टि.एक्ट के तहत वाद लाया गया। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर कभी भी रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं रहा है तथा उक्त कृषि भूमि न होकर आबादी में स्थित है तथा उस पर अपीलान्ट्स के मकान बने हुये है तथा अपीलान्ट्स लगभग 20–21 वर्षों से उक्त विवादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर रहवास कर रहे है। जिसके पंचायत द्वारा पट्टे बने होकर नल, बिजली कनेक्शन लगे है। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात तो दिनांक 17.05.2003 को तत्कालीन खातेदार भैरू पिता देवा भील निवासी खंगार जी का खेड़ा से अपीलान्ट्स भेरू पिता मांगी लाल रेगारी व मोहन पिता लालू रेबारी द्वारा 20,000/– में खरीद किया था तथा भैरू पिता देवा भील द्वारा दिनांक 28.05.2015 को 40,000/– रू में एक बाड़ा भैरू पिता मांगीलाल भील को विक्रय किया था। रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि पर कभी काबिज नही रहे है तथा न ही उनके द्वारा कभी कोई कृषि की जाती रही है रेस्पाडेन्ट् तो खणी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.) में निवास कर रहे है तथा कभी भी उक्त भूमि पर आकर कृषि कार्य नहीं किया है तथा अपीलान्ट्स का वर्षों से कब्जा चला आ रहा है तथा उनके द्वारा उसका उपयोग उपभोग कर वादग्रस्त भूमि पर कच्चे पक्के मकान बने हुये होकर निवास कर रहे है तथा पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये हुये है जिस पर प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान बने है। उक्त भूमि को धारा 42 रा.टि.एक्ट के विपरित हस्तान्तरण मानते हुये निरस्त की जाकर, उक्त विवादग्रस्त आराजीयात को बिलानाम घोषित कर अपीलान्ट्स के कब्जों का नियमन करना चाहियें। रेस्पोडेन्ट को नामान्तकरण सं. 223 दिनांक 27.04.2011 को बेचान से भैरू पिता देवा भील 1/3 हिस्से के बजाय सुवालाल पिता लालू भील निवासी खणी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.) के नाम पर दर्ज की गयी है सर्वथा अवैध होकर फर्जी है। उक्त सुवालाल पिता लालु, भील जाति का ना होकर रेबारी जाति का है। सुवालाल ने अपने आप को भील जाति का बताकर विक्रयपत्र का पंजीयन कराया है जो प्रारंभ से शुन्य है। दिनांक 17.05.2003 को रेस्पोडेन्ट्स ने जवाबउल जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया की विवादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट को विरास्त से मिली है। रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि विरासत से कैसे मिली तथा उसका पंजीयन क्यों कराया गया इसके बारे में कोई भी जांच, कार्यवाही या बयान नहीं लिये गये। जिससे प्रतीत होता है की उक्त पंजीयन फर्जी तौर पर तैयार करवाया गया है। अपीलान्ट्स को निर्णय की जानकारी अभी हाल ही में हुई तथा बिना विलम्ब किये

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपीलान्ट्स ने उक्त निर्णय की प्रति दिनांक 14.07.2022 को प्राप्त की तब प्रथम बार उक्त निर्णय की जानकारी हुई इसलिये अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कराने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र दिया गया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावें।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अपीलाण्ट की ओर से लिखित बहस भी पेश की गयी।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि पर कभी भी रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं रहा है तथा उक्त कृषि भूमि न होकर आबादी में स्थित है तथा उस पर अपीलान्ट्स के मकान बने हुये है तथा अपीलान्ट्स लगभग 20–21 वर्षों से उक्त विवादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर रहवास कर रहे है। जिसके पंचायत द्वारा पट्टे बने होकर नल, बिजली कनेक्शन लगे है। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात तो दिनांक 17.05.2003 को तत्कालीन खातेदार भैरू पिता देवा भील निवासी खंगार जी का खेड़ा से अपीलान्ट्स भेरू पिता मांगी लाल रेगारी व मोहन पिता लालू रेबारी द्वारा 20,000/– में खरीद किया था तथा भैरू पिता देवा भील द्वारा दिनांक 28.05.2015 को 40,000/– रू में एक बाड़ा भैरू पिता मांगीलाल भील को विक्रय किया था। पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये हुये है जिस पर प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान बने है। उक्त सुवालाल पिता लालु, भील जाति का ना होकर रेबारी जाति का है। सुवालाल ने अपने आप को भील जाति का बताकर

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विक्रयपत्र का पंजीयन कराया है जो प्रारंभ से शुन्य है। निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की पूर्ण सुनवायी की जाकर, समस्त दस्तावेजात की जांच परख करके, अपीलाण्ट को सुनवायी पूर्ण अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया हैं, जिसमें कोई त्रुटि नही हैं। प्रश्नगत जायदाद खातेदारी की भूमि थी जिस पर न्यायालय द्वारा पत्थरगढी के आदेश पारित किये गये। वक्त पत्थरगढी मौका रिपोर्ट से जाहिर हुआ कि प्रश्नगत जायदाद पर अपीलाण्ट जो जाति से भील हैं, उन्होंनें विपक्षी की खातेदारी आराजियात पर अतिक्रमण किया हुआ हैं। मौका रिपोर्ट अनुसार ही अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षों की सुनवायी करके उक्त निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित हैं। अपीलाण्टगण द्वारा जाति से भील नही होकर बार बार रेबारी जाति का होना व्यक्त कर रहे हैं, किन्तु अपीलाण्टगण इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय में कोई पुष्ट साक्ष्य प्रमाणितशुदा पेश नही किया गया। अपीलाण्टगणों ने अपनी अपील मेमों मे कथन किया कि प्रश्नगत जायदाद पर अपीलाण्टगणों के नाम पर ग्राम पंचायत द्वारा पटटे जारी किये हुये है। जबकि अपीलाण्टगणों द्वारा पटटे के संबंध मे ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किये गये। वैसे भी एक तरफ माननीय न्यायालय द्वारा खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश जारी किये गये हैं, तो ग्राम पंचायत द्वारा खातेदारी भूमि पर किस प्रकार पटटे जारी कर सकती हैं? इस प्रकार यदि पटटे जारीशुदा भी है तो ऐसे पटटे प्रारम्भ से ही शुन्य श्रेणी में आते हैं। विपक्षीगण अनुसूचित जनजाति के खातेदार काश्तकार हैं जिस पर अपीलाण्टगण का अवैध कब्जा पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्टगणों के विरूद्व बेदखली को जो निर्णय पारित किया गया हैं वह उचित हैं। निवेदन हैं कि अपीलाण्टगणों की अपील आधारहीन व सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 05/2021 में धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उभयपक्षों की पूर्ण सुनवायी की जाकर, सम्पूर्ण दस्तावेजात के पूर्ण परीक्षण उपरांत, दिनांक 30.04.2022 को निर्णय पारित किया हैं, उसमें विधिक रूप से कोई त्रुटि प्रतीत नही होती हैं।

प्रश्नगत जायदाद के संबंध में विपक्षी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

के आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 227 दिनांक 02.09.2019 को किये जाने पर एवं न्यायालय आदेश एवं तहसीलदार के आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा वक्त पत्थरगढी जों मौका रिपोर्ट ग्राम खंगार जी का खेडा में तैयार किया गया उस अनुसार मौके पर अपीलाण्टगणों द्वारा मकान व बाडा बनाकर अवैध कब्जा होना पाया गया। अपीलाण्टगण मौके पर उपस्थित थे, किन्तु हस्ताक्षर करने से मना किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ द्वारा खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश जारी किये गये हैं, तो ग्राम पंचायत द्वारा खातेदारी भूमि पर किस प्रकार पटटे जारी कर सकती हैं? प्रश्नगत जायदाद, खातेदारी भूमि को ग्राम पंचायत की आबादी में किस वर्ष की गयी, इसका अपीलाण्टगण द्वारा कोई साक्ष्य /दस्तावेज पेश नही किये गये। विपक्षीगण अनुसूचित जनजाति के खातेदार काश्तकार हैं जिस पर अपीलाण्टगण का अवैध कब्जा पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्टगणों के विरूद्व बेदखली को जो निर्णय पारित किया गया हैं वह उचित प्रतीत होता हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 05/2021 निर्णय दिनांक 30.04.2022 विधिक रूप से उचित प्रतीत होने से अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 05/2021 निर्णय दिनांक 30.04.2022 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा